

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:ए 9(4)(33)उ.शै.छा./पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2021-22/5420


दिनांक : 02/03/2023

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के एवं राज्य के बाहर संचालित राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE ICON** पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण करवाने हेतु, विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण करवाने हेतु अंतिम तिथि	28 फरवरी, 2023	31 मार्च, 2023

विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं अन्य आवश्यक जानकारी sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा <https://sje.rajasthan.gov.in> के माध्यम से अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक.ए 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/542-4-1

दिनांक : 02/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलक्टर/कोषाधिकारी (समस्त राज0)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु प्रेषित है।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा)/जि.प. एवं स. क. अ. (छात्रवृत्ति) मुख्यावास।
20. संयुक्त निदेशक/उप/सहायक निदेशक/जि.प. एवं स. क. अ. सान्याअवि समस्त को सूचनार्थ।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)